छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

CSPTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन. – U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :– मुख्य अभियंता (मा.सं.), छ.ग.स्टेट पा.ट्रांस.कं.लि., रायपुर

क्रमांक 01–01/कार्यालयीन समय/386 रायपुर, दिनांक 21 JAN 2025

परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1–3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी 2022 के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के सभी शनिवार को अवकाश एवं कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक (भोजन अवकाश की अवधि 1.30 बजे से 2.00 बजे तक) निर्धारित की है, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ द्वारा आदेश क्रमांक 01–01/464 दिनांक 03 फरवरी 2022 के माध्यम से राज्य शासन की उपरोक्त अधिसूचना को ग्राह्य करते हुए समस्त राज्य पॉवर कंपनियों के कार्यालयों में भी तदानुसार व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया गया है।

यह अनुभव किया जा रहा है कि राज्य पावर कंपनियों के कुछ अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, जिससे जिन उद्देश्यों (कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने) की पूर्ति के लिए सभी शनिवार को अवकाश प्रदान किया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। **अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन अवधि के दौरान गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिये पुनः निर्देशित किया जाता है।**

प्रत्येक नियंत्रणकर्ता अधिकारी उपस्थिति पंजी/कार्यालय का समय–समय पर औचक निरीक्षण कर प्रत्येक कार्यदिवस में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालयीन समय में/के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करेगें। नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा विलंब से उपस्थित होने वाले या निर्धारित अवधि के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने वाले या निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय छोड़ने वाले अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

1. कार्यदिवस के दिन निर्धारित समय से आधें घंटे या उससे अधिक देर से आने या निर्धारित समय से आधे घंटे या उससे पूर्व कार्यालय से जाने वाले कर्मियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसके आकस्मिक अवकाश खाते से आधे/पूरे एक दिन के अवकाश कटौती की जाएगी, यदि खातें में आकस्मिक अवकाश शेष ना हो, तो उस अवधि के लिए आवेदन के अनुरूप अन्य अवकाश या बिना वेतन के अवकाश स्वीकृत किया जाएगा :–

   अ) संबंधित विद्युत कर्मी ने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अपरिहार्य कारणों से देर से आने के लिए पूर्व अनुमति ना ली हो।

   ब) संबंधित विद्युत कर्मी, उच्च अधिकारी/नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देश/जानकारी पर अन्य स्थान पर किसी अन्य कार्य पर संलग्न ना हो।

2. यदि विद्युत कर्मी को अल्प समय के लिये भी किसी व्यक्तिगत कार्य से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यालय से बाहर जाना हो, तो नियंत्रक अधिकारी से अनुमति उपरांत आवश्यक प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टर में किया जाना आवश्यक है।

3. नियंत्रणकर्ता अधिकारी, एक माह में अधिकतम दो बार निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से आने या निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व कार्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति, विद्युत कर्मी द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट होने पर दे सकते है।

4. विद्युत कर्मी यदि बार–बार निर्धारित कार्यालयीन समय के दौरान अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही के अलावा नियंत्रक अधिकारी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. यदि उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कोई विद्युत कर्मी बिना किसी पूर्वानुमति के कार्य से अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उस कर्मी के साथ–साथ नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे।

विद्युत कर्मियों से अपेक्षा है कि वे बेहतर समय प्रबंधन करते हुए नियमित रूप से कार्यालय में निर्धारित समय पर पहुंचने का प्रयास करेगें परंतु अपरिहार्य कारणों (जैसे–ट्रैफिक जाम, वाहन में खराबी, स्वास्थ्यगत आदि) से कभी कार्यालय पहुंचने में विलंब होने की स्थिति निर्मित होती है, तो भी वे वाहन सावधानीपूर्वक चलायेगें ताकि उनके परिवार तथा राज्य पॉवर कंपनी को किसी भी प्रकार की अनावश्यक क्षति ना हो।

सभी विद्युत कर्मी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(सक्षम अनुमोदनोपरांत जारी)

मुख्य अभियंता (मा.सं.)

छग.स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड